



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082022-238317
CG-DL-E-23082022-238317

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3782]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2022/भाद्र 1, 1944

No. 3782]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2022/BHADRA 1, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2022

का.आ. 3956(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करती है: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 29 मार्च 2012 के का.आ.सं.643(ई) के तहत प्रकाशित किया।

उक्त अधिसूचनाओं की अनुसूची में क्रमांक के (i) कॉलम (3) के सामने। भूमि के विस्तार से संबंधित संख्या (2) को गुंडुगोलानु - राजमुंदरी खंड के किमी 979.13 से किमी 949.800 के स्थान पर एनएच 216 ए के गुंडुगोलानु-सिद्धांतम खंड के किमी 969+000 से 953+300 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा और (ii) स्तंभ (4) क्रमांक सं. (2) जिले से संबंधित मंडलों के लिए पश्चिम गोदावरी के स्थान पर "पूर्वी गोदावरी जिला" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के संबंध में।

नए जिलों के गठन के कारण आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में NH216A के गुंडुगोलानु-सिद्धांतम खंड के किमी 969 + 000 से 953 + 300 के लिए खिंचाव के नाम और जिले के नाम में परिवर्तन।

[फा. सं. NHAI/11011/LA/Notif.-3a/PIU-RJY/2011-12]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 23rd August, 2022

S.O. 3956(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the Gazette Notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published vide S. O. No.643 (E) dated 29th March 2012.

In the Schedule to the said Notifications against (i) column (3) of Sl. No.(2) relating to stretch of land shall be substituted as Km969+000 to 953+300 of Gundugolanu –Siddantham section of NH216A in place of Km.979.13 to Km.949.800 of Gundugolanu – Rajahmundry Section and (ii) column (4) of Sl. No.(2) relating to District shall be substituted as " East Godavari District " in place of West Godavari for the mandals 1. Undrajvaram, and 2. Peravalli, to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Change of Stretch name and District Name for Km969+000 to 953+300 of Gundugolanu –Siddantham section of NH216A in East Godavari District of Andhra Pradesh, due to formation of new Districts.

[F. No. NHAI/11011/LA/Notif.-3a/PIU-RJY/2011-12]

RAJESH GUPTA, Director